न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 571/2015
दायर दिनांक :– 01/02/2022
निर्णय दिनांक :– 01.09.2022

उनवान

1. श्री जयराम पिता प्रेमचन्द बैरवा निवासी भूपालसागर
2. श्री नानालाल पिता प्रेमचन्द बैरवा निवासी भूपालसागर
3. श्री गोवर्धनलाल पिता प्रेमचन्द बैरवा निवासी भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री प्रताप पिता प्रेमचन्द बैरवा निवासी भूपालसागर
2. प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भूपालसागर
3. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री कृष्णगोपाल झंवर

–: निर्णय :–

वकील वादी की और से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है।

यह है कि मौजा भूपालसागर पटवार हल्का, भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात आ.नं. 593 रकबा 0.09 है., आ.सं. 594 रकबा 0.09 है., आ.सं. 595 रकबा 0.09 है., आ.सं. 599 रकबा 0.09 है., आ.सं. 775 रकबा 0.30 है., आ.सं. 780 रकबा 0.28 है., आ.सं. 781 रकबा 0.28 है., आ.सं. 782 रकबा 0.19 है., आ.सं. 803 रकबा 0.10 है., आ.सं. 1025 मी. रकबा 0.11 है., 1026 रकबा 0.01 है., आ.सं. 1027 रकबा 0.38 है., आ.सं. 1169 रकबा 0.27 है. किता 13 रकबा 2.28 है. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया है। इसलिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिकी जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.07.2017 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहुपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

क.सं.	काश्तकार	आ.नं.	रकबा है. में
1	श्री रतनलाल पिता जयराम बैरवा	593 1026 1027 [illegible]	0.09 0.01? 0.1150?
2	श्री गोरधनलाल पुत्र प्रेमचन्द बैरवा	595 1027 मी	0.09 0.1250?

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.07 12:07:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

3	श्री नानालाल पुत्र प्रेमचन्द बैरवा	594 1027 में से	0.09 0.1250
4	श्री रतनलाल पुत्र प्रतापराम 1/2, भूरालाल पुत्र प्रतापराम 1/2 बैरवा	599 1025 1027 में से	0.09 0.11 0.0150
5	श्री रतनलाल पिता जयराम 1/4, गोरधनलाल पुत्र प्रेमचन्द 1/4, भूरालाल पुत्र प्रतापराम 1/8, रतनलाल पुत्र प्रतापराम 1/8, नानालाल पुत्र प्रेमचन्द 1/4 बैरवा	780 781 782 803 1169 775	0.28 0.28 0.19 0.10 0.27 0.30
6	ग्राम भूपालसागर की आ.सं. 780, 781, 782, 803, 1169, 775 पूर्ववत शामलाती में बने रहेगें।		

इस आशय की अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.07 12:07:36 IST
Reason: SelfAttested